न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/236/2018

उनवान

1. राजु लाल पिता स्व0 गंगाराम जाट निवासी लखमणियास, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती धानी देवी बेवा श्रीकिशन जाट निवासी लखमणियास, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण संख्या 102/2017 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018 एवं निर्णय दिनांक 11.4.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी एल बापना , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लखमणियास पटवार हल्का लसाडिया तहसील कोटडी में खाता संख्या 183 में आराजी नम्बर 425/1 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा आराजी नम्बर 427 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 428 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 436 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 438 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 447/1 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 453 रकबा 4 बीघा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

04 बिस्वा, आराजी नम्बर 494/2 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 518 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 519 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 540/3 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात में वादी के पिता मृतक गंगाराम का 1/8 हक हिस्सा निहित है। खाता संख्या 186 में आराजी नम्बर 379/49 रकबा 5 बीघा, आराजी नम्बर 451 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 67/379 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा , कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा में वादी के पिता मृतक गंगाराम का 1/3 हक हिस्सा निहित है। खाता संख्या 184 में आराजी नम्बर 371 रकबा 06 बिस्वा में वादी के पिता का 1/6 हक हिस्सा निहित है। खाता संख्या 185 में आराजी नम्बर 370 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 379/8 रकबा 3 बीघा, आराजी नम्बर 379/9 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 516/2 रकबा 3 बीघा 12 बिस्सा, आराजी नम्बर 517/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 522/2 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा में वादी के पिता का 1/4 हक हिस्सा निहित है। खाता संख्या 88 में आराजी नम्बर 443 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 465 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बिस्वा में वादी के पिता का नाम अन्य खातेदारों के साथ अंकित है। खाता सख्या 89 में आराजी नम्बर 450 रकबा 07 बिस्वा में वादी के पिता का 1/4 हक हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :—

श्रीकिशन

रामेश्वर	गंगाराम	बद्री	धानी देवी	सायर	गीता
पुत्र	पुत्र मृतक	पुत्र	पत्नी	पुत्री	पुत्री
	↓				
	राजू (वादी)				

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. उपरोक्त वर्णित सजरे के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मुख्य पुरूष श्रीकिशन जी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनके तीन पुत्र रामेश्वर, गंगाराम, बद्री व दो पुत्रिया सायर व गीता हुई तथा पत्नी धानी देवी है। वादग्रस्त समस्त आराजियात वादी की पुश्तैनी हक व अधिकार की जायदाद है जो राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता गंगाराम के साथ अन्य सहखातेदारों के नाम पर दर्ज है। वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 14.1.2017 को ग्राम लखमणियासमें हो गई । जिसका विधिक विरासतीय उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 है, इसके अलावा अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी मृतक गंगाराम का नहीं है। वादी के पिता स्व0 गंगाराम ने करीब 30 वर्ष पहले वादी की माताश्रीमति बाली से सामाजिक रिति रिवाज से विवाह किया था , विवाह के पश्चात श्रीमती बाली गंगाराम के नुत्फै से गभवती हुई , गर्भावस्था के दौरान ही वादी की माता श्रीमती बाली व वादी के पिता स्व0 गंगाराम के मध्य वैचारिक मतभेद हो गये जिससे वादी की माता श्रीमती बाली ने रामेश्वर निवासी धुवाला (मा0) से सामाजिक रितिरिवाज अनुसार नाता विवाह कर लिया । वादी की माता ने जब नाता विवाह किया तब वादी उसकी माता के गर्भ में 4 माह का था तथा नाता विवाह के 5 माह बाद वादी का जन्म हुआ । वादी का प्राकृतिक व नैसर्गिक पिता स्व0 गंगाराम था। इस प्रकार वादी वर्तमान में अपनी माता के साथ ग्राम धुवाला में निवास कर रहा है व उसका प्राकृतिक पिता नहीं है तथा मात्र वादी का सम्पूर्ण लालन–पालन प्राकृतिक माता ने नाता विवाह के पश्चात ग्राम धुवाला (मा0) में किया । वादी बडा होकर सोचन समझले लगा तो वह अपने पिता एवं दादी के पास ग्राम लखमणियास आता जाता रहा है तथा अपने परिवार के साथ भी यदा–कदा रहता रहा है। वादी के पिता गंगाराम की मृत्यु दिनांक 14.1.2017 को हो

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गई जिसका पता चलते ही वादी ने अपने पिता गंगाराम के अतिम कियाकर्म की रस्में एकमात्र जायंदा पुत्र होने से निभाई।

3. वादी के पिता की मृत्यु होने के उपरान्त वादग्रस्त समस्त आराजियात में उसके पिता के हिस्सेकी जो पुश्तैनी आराजियात थी जिसमें वादी हिन्दु विधि अनुसार विरासत से हक प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी कारण वादी अपने नैसर्गिक पिता के निधन के पश्चात राजस्व अभिलेख में विरासतीय हक व अधिकार से नामान्तरकरण खोलने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.3.2017 कोतहसीलदार साहब कोटडी को प्रस्तुत किया । जिसे उन्होनें मूल ही जरिये पत्रांक भू.अ./0017/ दिनांक 17.3.2017 को ही पटवारी हल्का लसाडिया को दस्तोवज की जांच कर यदि कोई स्थगन नहीं हो तो इंतकाल खोले जाने के आदेश के साथ भिजवाया गया परन्तु पटवारी हल्का लसाडिया ने आज दिन तक इंतकाल खोले जाने बाबत किसी भी प्रकार की जांच अथवा कार्यवाही नहीं की। वादी कितनी ही बार पटवार हल्का से व्यक्तिशः मिला लेकिन पटवार हल्का ने वादी के काका से अवैध लाभ प्राप्त किया है और उसने वादी के नाम पर स्वं0 गंगाराम का विरासत से इंतकाल खोलने से इंकार कर दिया। जिसकी शिकायत वादी द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाडा को दिनांक 5.4.2017 को लिखित में की गई। इसके बावजूद भी पटवार हल्का अपनी हठधर्मिता पर अडा हुआ है। वादी के काका जिनका वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है वे वादग्रस्त आराजियात का इंतकाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खुलाकर वादी को उसके हक अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। दिनांक 15.6.2017 को ही वादग्रस्त आराजियात अपने नाम पर दर्ज कराने की चैतावनी वादी को दी । अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी को वादग्रस्त आराजियात में मृतक गंगाराम के हिस्से में दर्ज आराजियात को विरासतीय हक व अधिकार से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के नाम पर इंतकाल खोला जाकर तदुनसार राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे। तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नही करे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम लखमणियास पटवार हल्का लसाडिया तहसील कोटडी में खाता संख्या 183 में आराजी नम्बर 425/1 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा आराजी नम्बर 427 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 428 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 436 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 438 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 447/1 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 453 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 494/2 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 518 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 519 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 540/3 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा स्थित है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त आराजियात में वादी के पिता मृतक गंगाराम का 1/8 हक हिस्सा निहित है। खाता संख्या 186 में आराजी नम्बर 379/49 रकबा 5 बीघा, आराजी नम्बर 451 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 67/379 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा , कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा में वादी के पिता मृतक गंगाराम का 1/3 हक हिस्सा निहित है। खाता संख्या 184 में आराजी नम्बर 371 रकबा 06 बिस्वा में वादी के पिता का 1/6 हक हिस्सा निहित है। खाता संख्या 185 में आराजी नम्बर 370 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 379/8 रकबा 3 बीघा, आराजी नम्बर 379/9 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 516/2 रकबा 3 बीघा 12 बिस्सा, आराजी नम्बर 517/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 522/2 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा में वादी के पिता का 1/4 हक हिस्सा निहित है। खाता संख्या 88 में आराजी नम्बर 443 रकबा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 465 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बिस्वा में वादी के पिता का नाम अन्य खातेदारों के साथ अंकित है। खाता सख्या 89 में आराजी नम्बर 450 रकबा 07 बिस्वा में वादी के पिता का 1/4 हक हिस्सा निहित है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादी और प्रतिवादी के परिवार में मूल पुरूष श्रीकिशन जी थे जिनके तीन पुत्र रामेश्वर, गंगाराम, बद्री तथा पुत्रियॉ शायर व गीता तथा पत्नी धानी देवी है। वादी के पिता स्व0 गंगाराम ने करीब 30 वर्ष पहले वादी की माताश्रीमति बाली से सामाजिक रिति रिवाज से विवाह किया था , विवाह के पश्चात श्रीमती बाली गंगाराम के नुत्फै से गभवती हुई , गर्भावस्था के दौरान ही वादी की माता श्रीमती बाली व वादी के पिता स्व0 गंगाराम के मध्य वैचारिक मतभेद हो गये जिससे वादी की माता श्रीमती बाली ने रामेश्वर निवासी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

धुवाला (मा0) से सामाजिक रितिरिवाज अनुसार नाता विवाह कर लिया । वादी की माता ने जब नाता विवाह किया तब वादी उसकी माता के गर्भ में 4 माह का था तथा नाता विवाह के 5 माह बाद वादी का जन्म हुआ । वादी का प्राकृतिक व नैसर्गिक पिता स्व0 गंगाराम था। वादी जब सोचने समझने लगा तब से वह अपने पिता गंगाराम जी, दादी धानी देवी के पास ग्राम लखमणियास में आता जाता रहा है। वादी के पिता गंगाराम जी की मृत्यु होने पर वादी ने ही उनके अंतिम क्रियाकर्म की रस्में निभाई थी। वादी के पिता की मृत्यु के उपरान्त उक्त समस्त आराजियात में अपने पिता का जो हक हिस्सा था वह वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण वादी के नाम पर खोलने बाबत तहसीलदार साहब कोटडी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार साहब कोटडी ने पटवार हल्का को जांच कर इन्तकाल खोले जाने का आदेा दिया परन्तु पटवार हल्का ने इन्तकाल नहीं खोला।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं उसके उपरान्त दिनांक 6.9.2017 की आगामी पेशी नियत की गई। दिनिांक 6.9.2017 , 9.1.2018, 23.3.2018, 9.5.2018 की पेशियों पर पीठासीन अधिकारी जी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से रीडर सा0 ने पेशियॉ बदील की थी इसक बाद उक्त दिनांक 4.6.2018 को उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प लसाडिया में रख दी गई। जिसकी कोई भी सूचना वादी को नहीं दी गई । जिससे वादी कैम्प कोर्ट पर उपस्थित नहीं हो सका लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने केवल प्रतिवादी द्वारापेश प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर ही गुणागवुण पर अपीलधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वाद का निर्णय कर वाद को खारिज कर दिया। जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व लोक अदालत में केवल उन्ही मुकदमों का निर्णय किया जाता है जिसमें कि दोनों पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया हो और राजीनामे के अनुसार ही कैम्प कोर्ट पर न्यायालय को फैसला करना होता है किन्तु इस प्रकरण में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनमाा नहीं हुआ था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त मामले को गुणावगुण पर फैसल कर दिया जो गैर काननी होने से निरस्त योग्य है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रक्रियात्मक प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया अपना कर ही मुकदमें का फैसला करना होत है किन्तु उक्त मामले में न तो प्रतिवादी पक्ष ने कोई जवाब दावा दिया, न कोई तनकियात कायम की गई न ही दोनों पक्षों की साक्ष्य ग्रहण की गई और न ही पक्षकारों को सुनवाई का काई अवसर ही प्रदान किया गया । अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से केवल प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रक्रिया अनुसार गुणाावगुण पर निर्णय पारित किये जाने का निर्देश प्रदान जावे।

12. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

13. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार प्रकिया अपना कर ही प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था। हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 22.6.2017 को पंजीबद्ध किया गया एवं प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। उसके उपरान्त आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.9.2017 नियत की गई। दिनांक 6.9.2017 , 9.1.2018, 22.3.2018, 9.5.2018 को प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। किस कारण से प्रकरण में कार्यवाही नहीं हो पाई इसका स्पष्ट अंकन भी नहीं किया गया है।

14. दिनांक 4.6.2018 को प्रकरण को लोक अदालत कैम्प लसाडिया पर नियत किया गया एवं प्रतिवादी धन्नी की उपस्थिति दर्ज की गई एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय किया गया है। अपीलधीन प्रकरण में प्रतिवादी के नोटिस बाद तामील अथवा अदम तामील प्राप्त होने बाबत कोई आदेशिका का अंकन नहीं किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण को प्रोपर तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने पर तनकियात कायम की जानी चाहिये थी। उसके उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज, रिकार्ड का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया है। राजस्व लोक अदालत कैम्प में उन्हीं प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष के मध्य आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से राजीनामा हुआ हो। अपीलाधीन प्रकरण में राजस्व लोक अदालत कैम्प में उभयपक्ष को उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस ही जारी नहीं किये गये थे।

15. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में उपस्थित होने बाबत नोटिस की प्रतियॉ संलग्न है। जिनका अवलोकन किया गया । उक्त सूचना पत्र/नोटिस प्रकरण संख्या 102/2104 उनवान महावरी बनाम जोधा में नियत पेशी दिनांक 4.6.2018 कोलोक अदालत कैम्प लसाडिया में उपस्थित होने बाबत जारी किये गये हैं। जबकि अपीलाधीन प्रकरण के प्रकरण संख्या 102/2017 होकर उनवान राजु लाल बनाम श्रीमती धानी देवी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो सूचना पत्र जारी किये गये हैं वे किसी अन्य विचाराधीन प्रकरण के अपीलाधीन प्रकरण में जारी किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का भी पूर्ण रूप से अवलोकन नहीं किया गया है एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में निस्तारित किये जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं की गई है। उभयपक्ष के नोटिस अथवा सूचना पत्र भी जारी कर उन्हें सूचित नही किया गया है । मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितो का बाद साक्ष्य सुनवाई उपलब्ध साक्ष्य रेकार्ड के आधार पर किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

16. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त तनकियात कायम की जाकर , उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर विस्तृत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.10.19 को उपस्थित रहे।

17. निर्णय आज दिनांक 29.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा